सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 05, शुक्रवार, शाके 1944-फरवरी 24, 2023

Phalguna 05, Friday , Saka 1944- February 24, 2023

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

बाल अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 23, 2023

संख्या एफ**20(9)(2)**बाअवि/किन्याअ/बाकस /मनोनयन /**2023/56397** :- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, **2015** की धारा **27(2)** एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, **2016** के नियम **15(2)** के अन्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के प्रकरणों की जांच, सुनवाई एवं निपटान हेतु जयपुर जिले में गठित बाल कल्याण समिति में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं का निम्नानुसार अध्यक्ष/सदस्य के रूप में एतद्द्वारा मनोनयन किया जाता है:-

बाल कल्याण समिति, जयपुर		
1	श्रीमती शीला सैनी **10,** उस्ताद जी का बाग, मोती डुगरी मार्ग, पीलवा गार्डन के सामने, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती शांति भटनागर **1488** खेजडों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर	महिला-सदस्य
3	श्री निजाम मोहम्मद **55** ए, हनुमान नगर, सिरसी रोड, भॉकरोटा, जयपुर	सदस्य
4	श्री रामनिवास सैनी सुशीलपुरा, सोडला, जयपुर	सदस्य
5	श्रीमती शिमला कुमावत **55,** राणा प्रताप नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर	सदस्य

बाल कल्याण समिति में मनोनीत अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल **03** वर्ष के लिए होगा।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, **2015** की धारा **27(9)** एवं आदर्श नियम, **2016** के नियम **15(4)** में वर्णित प्रावधानों के तहत समिति में मनोनीत अध्यक्ष/सदस्यों का सम्यक जांच उपरान्त मनोनयन समाप्त किया जा सकेगा।

यह अधिसूचना दिनांक **11.03.2023** से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

विशिष्ट शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।